an>

Title: Need to review the GST rate on synthetic fabric.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) ः भारत सरकार ने देश भर में 1 जुलाई, 2017 से जी.एस.टी. लागू किया है, यह एक सराहनीय कदम है। इससे भारत आर्थिक रूप से मज़बूत होगा तथा एक सूत्र में बंधेगा। भौगोलिक एकता के लिए जिस पूकार से आज़ादी के वक्त सरदार पटेल ने बड़ा काम किया, उसी पूकार देश की आर्थिक एकता के लिए पूधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं इसकी पूशंसा के साथ ही सिन्थेटिक कपड़ा उद्योग को लेकर इसमें रही छोटी सी विसंगति की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं राजस्थान के भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूँ जो देश-विदेश में वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। छोटे वस्त्र उद्यमी जो केवल सिन्थेटिक कपड़ा बनाकर बेचते हैं उनको अधिक कर चुकाना पड़ेगा। उनकी अपेक्षा जो बड़े उद्यमी हैं तथा जिनकी कम्पॉजिट यूनिट है, जो धागा और कपड़ा दोनों बनाते हैं उन्हें कम कर चुकाना पड़ेगा। इससे 100 रूपये मीटर के कपड़े पर कम्पॉजिट यूनिट की अपेक्षा छोटे उद्यमी को 6 रूपये 80 पैसे पूति मीटर अधिक लागत आयेगी। इससे छोटे उद्यमी पूतिस्पर्धा से बाहर हो जायेंगे। भीलवाड़ा में ऐसे उद्यमियों की संख्या हज़ारों में हैं। मेरा सरकार से आगूह है कि इस विसंगति को दूर करे ताकि सिन्थेटिक कपड़े के छोटे उद्यमी इस पूतिस्पर्धा में बने रह सके। सरकार की मंशा भी छोटे उद्यमियों को संबल पूदान करने की रही है।